राजीव नारायण रैना जे. के समक्ष,.

सुरमुख सिंह-याचिकाकर्ता

बनाम

भारत और अन्य का संघ-2016 का प्रतिवादीगण सी. डब्ल्यू. पी. No.17642

09 दिसंबर, 2019

क) उच्च न्यायालय के नियम और आदेश-भाग एफ-अध्याय।4—खण्ड. 5-लिखित अधिकारिता (पंजाब और हरियाणा) नियम 1976-आर. एल. 20 (VI)-रिट याचिकाओं का सूचकांक नोट-इसी तरह के मामले को लंबित बताते हुए-पंजाब राज्य में एलपीजी वितरण की मंजूरी और उसी तरह की रिट याचिका के आधार पर इसे चुनौती देना-बाद में 2016 का समान सी. डब्ल्यू. पी. No.6968 0000 जिसका सूचकांक में उल्लेख किया गया था, खारिज कर दिया गया।

ख) उच्च न्यायालय के नियम और आदेश-भाग एफ-अध्याय।4—Vol.5-लेखन क्षेत्राधिकार (पंजाब और हरियाणा) नियम, 1976-आर. एल. 20 (VI)-रिट याचिकाओं का अनुक्रमणिका नोट-जब भी कोई याचिकाकर्ता इस न्यायालय से संपर्क करता है और इसी तरह की अंतरिम राहत की मांग करते हुए सूचकांक में इसका उल्लेख करके किसी याचिका के लंबित होने का लाभ उठाता है, चाहे वह इसे प्राप्त करे या न करे, उसके अधिकार समाप्त हो जाने चाहिए या जीवित रहने चाहिए, जैसा भी मामला हो, उक्त याचिका के अंतिम परिणाम के साथ-यह विवेक का नियम है कि हलफनामे पर ऐसी घोषणा करने वाले याचिकाकर्ताओं का भाग्य अंतिम निर्णय और आदेश के परिणाम से जुड़ा होगा जो न्यायालय द्वारा पारित किया जा सकता है।

ग) उच्च न्यायालय के नियम और आदेश-भाग एफ-अध्याय।4—खण्ड. 5-लिखित अधिकारिता (पंजाब और हरियाणा) नियम 1976-आर. एल. 20 (VI)-इसी तरह के मामले को लंबित बताते हुए रिट याचिकाओं के सूचकांक में उल्लिखित विवरण को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय द्वारा तय की गई याचिकाओं का समूह।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि ये याचिकाएं या तो प्रमुख याचिका (2016 का सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 6968) में निर्धारित तिथि से पहले या उसके बाद अलग-अलग तिथियों पर दायर की गई हैं और इन सभी मामलों में अंतरिम रोक उन्हीं शर्तों में दी गई थी जो सूचकांक में उल्लिखित याचिका में दी गई थी।श्री लखनपाल का कहना है कि उनकी याचिका (2016 का सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 17681) में प्रस्ताव का नोटिस जारी किया गया था, लेकिन कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया गया था, जबकि अन्य तीन याचिकाओं में अंतरिम आदेश पारित किए गए थे।याचिकाकर्ताओं के लिए यह खेद का विषय है कि न्यायालय ने 2016 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 6968 को एक तर्कपूर्ण निर्णय और आदेश द्वारा खारिज कर दिया है जिसमें 11 रिट याचिकाओं का एक समूह शामिल है। लेकिन वर्तमान याचिकाएं का संघ बनी हुई हैं। तय किया, आज कौन से मामले सुनवाई के लिए आए हैं।एक बार जब याचिकाकर्ताओं ने सूचकांक में एक रिट याचिका के लंबित होने का उल्लेख किया है और अब जब से उस याचिका को खारिज कर दिया गया है, इन रिट याचिकाओं को उसी भाग्य का सामना करना पड़ता है।घोषणा करने वालों के खिलाफ सूचकांक में घोषणाओं के संबंध में इस नुकीले मुद्दे को भाई आर. के. जैन, जे. ने 2014 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 11032, एच. एस. गैस सेवा और अन्य बनाम में दिए गए अपने निर्णय और आदेश में विस्तार से निपटाया है। यू. ओ. आई. और अन्य ने 09.02.2016 पर निर्णय लिया और एम. ए. एन. यू./पी. एच./0204/2016 के रूप में रिपोर्ट किया जिसमें सूचकांक और याचिकाओं के औपचारिक पैराग्राफ में उल्लिखित 2016 का सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 6968 शामिल था।

(पैरा 9)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि विद्वत एकल न्यायाधीश ने अनुक्रमणिका में याचिकाकर्ताओं द्वारा "समान मामले" के रूप में उल्लिखित रिट याचिका को खारिज करने के कारण याचिकाओं को खारिज करने की प्रार्थना करने वाले प्रतिवादीगण द्वारा उठाई गई आपत्ति पर विचार किया।यह न्यायालय रिट क्षेत्राधिकार (पंजाब और हरियाणा) नियम, 1976 के नियम 20 (vi) के साथ पठित उच्च न्यायालय के नियमों और आदेशों के अध्याय 4 के भाग एफ, खंड 5 में कानूनी स्थिति की जांच करते हुए निर्णय के पैराग्राफ संख्या 15 से 20 में आयोजित अन्य कानूनी सिद्धांतों के साथ निम्नानुसार है

“15. मैं सबसे पहले याचिकाकर्ताओं द्वारा इसी तरह के मामले के रूप में उल्लिखित रिट याचिका को खारिज करने के कारण रिट याचिका को खारिज करने के लिए प्रतिवादीगण द्वारा उठाई गई आपत्ति पर विचार करूंगा।

16. उच्च न्यायालय के नियम और आदेशों के अध्याय 4 का भाग एफ, खंड 5 रिट अधिकार क्षेत्र (पंजाब और हरियाणा) नियम, 1976 (संक्षेप में "नियम") से संबंधित है।नियमों के नियम 20 (vi) में प्रावधान है कि प्रत्येक याचिका में क्रमिक रूप से क्रमांकित पैराग्राफ शामिल होंगे और इसमें एक बयान होगा कि क्या इसी तरह की याचिका उच्चतम न्यायालय में या पहले न्यायालय में या किसी अन्य न्यायालय में उसी मामले के संबंध में की गई है, और यदि की गई है, तो इसका क्या परिणाम होगा।

17. यह प्रावधान इस न्यायालय या उसी मामले के समक्ष इसी तरह की याचिका दायर करने के तथ्यों को छिपाने से बचने के लिए किया गया है ताकि कोई भी मामला, जिसे इस न्यायालय द्वारा पहले ही निपटाया जा चुका है, किसी भी तरह से किसी बेईमान वादी द्वारा फिर से सक्रिय नहीं किया जा सके।यह वादी को भी मदद करता है, यदि इसी तरह के मामले की अनुमति दी गई है या कम से कम पहले से ही लंबित या तय किए गए समान मामले के परिणाम के आलोक में अदालत को जांच करने में सहायता करता है।

18. इस मामले में जो सवाल उठता है, वह यह है कि क्या वर्तमान याचिका इस आधार पर खारिज किए जाने के योग्य है कि सूचकांक में इसी तरह के मामले के रूप में उल्लिखित रिट याचिका पहले ही खारिज कर दी गई है और यदि ऐसा नहीं है, जैसा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा आरोप लगाया गया है, तो क्या याचिकाकर्ता दमन सत्यापन और सुझाव झूठ के दोषी हैं?

19. चूंकि याचिकाकर्ताओं ने इसी तरह की रिट याचिका को खारिज करने के मद्देनजर रिट याचिका को खारिज करने के प्रतिवादीगण द्वारा उठाई गई आपत्ति को चुनौती दी है, इसलिए यह कहना उचित होगा कि यदि उक्त रिट याचिका वर्तमान रिट याचिका से अलग थी, तो याचिकाकर्ताओं को रिट याचिका के सूचकांक में इसे इसी तरह के मामले के रूप में उल्लेख करने का कोई अधिकार नहीं था, भले ही वही विज्ञापन शामिल था और यदि याचिकाकर्ता दोनों मामलों के बीच के अंतर को समझाने की कोशिश कर रहे हों, तो इसका सूचकांक में ही विशेषरूप से संक्षिप्त रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए था।इस प्रकार, इस मामले ने वर्तमान परिदृश्य में अत्यधिक महत्व ग्रहण कर लिया है, जहां अदालतें रिट याचिका में किए गए कथनों पर विश्वास करती हैं, जो रिट नियमों के नियम 20 (iii) के संदर्भ में दायर एक हलफनामे द्वारा समर्थित है।

20. मैं दोनों याचिकाओं में दिए गए तथ्यों के आधार पर भी मामले की जांच करूंगा।2013 की पहली रिट याचिका यानी सी. डब्ल्यू. पी. No.25738 एल. पी. जी. वितरक संघ (उत्तर पश्चिमी क्षेत्र) द्वारा दायर की गई थी, जो विवादित विज्ञापन के खिलाफ पीड़ित थी।जैसा कि मैंने आदेश के पहले भाग में पहले ही उल्लेख किया है कि पूरे पंजाब में 198 एलपीजी वितरकों की अवैध नियुक्ति के बारे में उक्त रिट याचिका में कानून के विशिष्ट प्रश्न तैयार किए गए हैं और 198 एलपीजी वितरकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन को रद्द करने के लिए भी प्रार्थना की गई है।इस मामले में उस तारीख के लिए प्रस्ताव का नोटिस जारी किया गया था, जिसके लिए 2013 के सी. डब्ल्यू. पी. No.25738 वाले इसी तरह के मामले को पहले ही

स्थगित कर दिया गया था।याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्ताव के नोटिस के समय रोक लगाने के लिए कोई अनुरोध नहीं किया गया था क्योंकि रोक पहले से ही 2013 के सी. डब्ल्यू. पी. आई. डी. 1 वाले समान रिट में काम कर रही थी और सी. डब्ल्यू. पी. No.25738/2013 में रोक खाली होने के बाद रोक के लिए आवेदन दायर करना सभी सामूहिक रूप से दिखाएगा कि सी. डब्ल्यू. पी. No.25738/2013 और वर्तमान याचिका समान है, यदि रूप में नहीं है तो सार में क्योंकि दोनों रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ता एक ही कारण का समर्थन कर रहे थे।" ((पैरा 5) ने आगे कहा कि मैं उन पहलुओं पर निर्णय के तर्क और अनुपात में शायद ही एक शब्द अतिरिक्त जोड़ सकता हूं जिन पर पूरी तरह से विचार किया गया है और जिन पर विचार किया गया है, जिसमें तथ्यों को छिपाने से संबंधित सिद्धांतों की प्रयोज्यता, याचिकाकर्ताओं का दमन सत्यापन और सुझाव झूठ का दोषी होना और न्यायालय तक "अति-पहुंच" के प्रभाव शामिल हैं।इसलिए, जब भी कोई याचिकाकर्ता इस न्यायालय का दरवाजा खटता है और इसी तरह की अंतरिम राहत की मांग करते हुए सूचकांक में इसका उल्लेख करके किसी याचिका के लंबित होने का लाभ उठाता है, चाहे वह इसे प्राप्त करे या न करे, उसके अधिकार समाप्त हो जाने चाहिए या जीवित रहने चाहिए, जैसा भी मामला हो, उक्त याचिका के अंतिम परिणाम के साथ।यह विवेक का नियम है कि हलफनामे पर ऐसी घोषणा करने वाले याचिकाकर्ताओं का भाग्य अंतिम निर्णय और आदेश के परिणाम से जुड़ा होगा जो न्यायालय द्वारा पारित किया जा सकता है।जैसा कि वे कहते हैं:जो तलवार से जीते हैं उन्हें तलवार से मरना चाहिए।वादियों को निर्णय लिए गए मूल, सहायक और आनुषंगिक मुद्दों पर अलग-अलग परिणामों की उम्मीद करते हुए न्यायिक प्रोविडेंस का परीक्षण करने से बचना चाहिए।यह तब अपरिहार्य है जब मुख्य मामलों में प्रचार के लिए याचिकाओं की पूरी शृंखला उपलब्ध थी।वर्तमान याचिकाकर्ताओं के पास एक विकल्प था कि जिस दिन 11 मामलों के बैच का फैसला किया गया था, उस दिन वे अपने मामलों में बहस करें, जो वे अदालत के विचार के लिए दलीलों को संबोधित करने से कतराते हुए करने में विफल रहे।

एच. एस. गैस सेवा मामले (सुप्रा) में निर्णय से कानूनी चूक यह है कि यह न्यायालय याचिकाकर्ता द्वारा भरोसा की गई समान याचिका का उल्लेख करते हुए सूचकांक में घोषणा द्वारा सड़क को बाधित करने के बाद मामले के गुण-दोष पर गौर करने के लिए मजबूर नहीं है, यदि बाद में इसे खारिज कर दिया जाता है।

(पैरा 6) ने आगे कहा कि श्री (shree) लखनपाल प्रस्तुत करते हैं कि उनके और अन्य मामलों में एक अतिरिक्त बिंदु शामिल था। वह आगे प्रस्तुत करता है कि इन याचिकाओं को अलग किया गया था। श्री (shree) लखनपाल द्वारा योग्यता पर निर्णय लेने के लिए उनके बचाव में आने के लिए "अलग" शब्द का प्रयोग किया जाता है।इन याचिकाओं के आदेश पत्र या 2016 के सी. डब्ल्यू. पी. 6968 में, जैसा कि मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया है, इस कथन का समर्थन नहीं करते हैं।'पृथक्करण' शब्द या इस तरह के किसी भी सुझाव का उपयोग नहीं किया गया है।केवल इसलिए कि कुछ मामलों को स्थगित कर दिया गया है और एक समूह के साथ निर्णय नहीं लिया गया है, उन मामलों को न्यायिक आदेश द्वारा समूह से अलग के रूप में नहीं पढ़ा जाएगा या इसका मतलब यह नहीं होगा कि एक अलग बिंदु शामिल है जिसमें निर्धारण की आवश्यकता है। कोई केवल ऑर्डर-शीट और के अनुसार ही जा सकता है। ऐसा कुछ भी न पढ़ें जो वहाँ न हो। यदि याचिकाकर्ताओं को इस संबंध में कोई शिकायत होती तो वे उचित आदेशों के लिए उसी माननीय न्यायाधीश के समक्ष एक उचित आवेदन भेज सकते थे।मैं उन आदेशों को पढ़ने की स्थिति में नहीं हूं जो उसमें स्पष्ट रूप से नहीं बताए गए हैं।न ही मैं आवश्यक निहितार्थ से इस तरह का कुछ भी पढ़ सकता हूं।यदि पक्षों के पास एक अतिरिक्त शिकायत थी जो 2016 के सी. डब्ल्यू. पी. No.6968 को खारिज करने वाले दिनांकित 5.9.2016 के निर्णय और आदेश में शामिल हो जाएगी क्योंकि ये याचिकाएं 'अलग' नहीं थीं और तदनुसार, यदि प्रपत्र नहीं तो सार में एक ही भाग्य का सामना करना पड़ता है।

(पैरा 7) आगे कहा कि, अभिलिखित कारणों से, मैं इन याचिकाओं को खारिज करने के लिए विवश हूं।कहने की जरूरत नहीं है कि अंतरिम आदेश अब नहीं रहेंगे।

(पैरा 8)

अतुल लखनपाल, वरिष्ठ अधिवक्ता

अरविंदपाल सिंह, अधिवक्ता

याचिकाकर्ता के लिए (2016 के सी. डब्ल्यू. पी. 17642 में)

जगदीश मनचंदा, अधिवक्ता

गुरप्रीत जयिया, अधिवक्ता

याचिकाकर्ताओं के लिए (2016 के सी. डब्ल्यू. पी. Nos.17681 और 13386 में) T.S.Chauhan, अधिवक्ता

याचिकाकर्ता के लिए (2016 के सी. डब्ल्यू. पी. 12855 में)

धीरज जैन, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी संख्या 1 (भारत संघ) के लिए।

आशीष कपूर, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी संख्या 2 (इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन) के लिए

रमन शर्मा, अधिवक्ता

प्रतिवादीगण संख्या 3 और 4 के लिए

(भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन।लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन।लिमिटेड)

राजीव नारायण रायना, जे. ओरल

(1) यह आदेश उपर्युक्त मामले के साथ-साथ तीन अन्य रिट याचिकाओं का निपटारा करेगा क्योंकि उनमें कानून और तथ्यों के सामान्य प्रश्न शामिल हैं जिन्हें एक सामान्य आदेश द्वारा आसानी से तय किया जा सकता है।

(2) जब यह मामला 27.11.2017 पर संघ के साथ सुनवाई के लिए आया चार संबंधित रिट याचिकाओं के साथ, पक्षों को सुना गया और निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:

"उत्तरदाताओं ने 17 मामलों के एक बड़े समूह में से 11 मामलों को खारिज करते हुए 2016 के सी. डब्ल्यू. पी. आई. डी. 2 No.6968/2016 में पारित 05.09.2018 का आदेश प्रस्तुत किया है जिसका शीर्षक है 'रमनदीप और एक और बनाम भारत संघ और अन्य' 2016 के सी. डब्ल्यू. पी. No.13386 के सूचकांक में, 2016 के सी. डब्ल्यू. पी. No.2968 का संदर्भ है, जिसे अब खारिज कर दिया गया है।इस सूचकांक के बल पर, 2016 के सी. डब्ल्यू. पी. No.6968 में दिनाक 01.06.2016 आदेश के संदर्भ में प्रस्ताव की सूचना के साथ-साथ अंतरिम आदेश सुरक्षित किया गया था।

मैं आम तौर पर कार्रवाई के कारण की समानता की घोषणा के आधार पर याचिका को खारिज कर देता, लेकिन श्री मनचंदा प्रस्तुत करते हैं कि 11 मामलों के समूह को बाकी से अलग कर दिया गया था।

दूसरी ओर, श्री रमन शर्मा प्रस्तुत करते हैं कि पृथक्करण का कोई आदेश नहीं था।

इन परिस्थितियों में, श्री मनचंदा मामलों के पृथक्करण का आदेश प्रस्तुत करेंगे या शपथ पत्र पर यह कहेंगे कि 17 मामलों के समूह का जानबूझकर विभाजन किया गया था, जिसमें से 11 का निपटारा किया गया था, जबकि शेष वर्तमान समूह में आज सूचीबद्ध हैं।

श्री (shree) रमन शर्मा के अनुसार 17 वां मामला खारिज कर दिया गया है।वह अगली तारीख को आदेश प्रस्तुत कर सकता है।

`पक्षकारों को यह दिखाने के लिए समय देने के लिए कि इन मामलों को बर्खास्तगी आदेश का सामना करने वाले मामले से अलग तरीके से क्यों व्यवहार किया जाना चाहिए, मामलों को 09.12.2019 तक स्थगित कर दिया जाता है।

श्री (shree) अतुल लखनपाल का मामला अर्थात 2016 का सी. डब्ल्यू. पी. No.17642 बाकी 5 मामलों के समूह से अलग से सूचीबद्ध किया जाए, लेकिन उसी दिन एक के बाद एक सुनवाई के लिए पोस्ट किया जाए।सबसे पहले श्री लखनपाल को सुना जाएगा।

तत्काल सूची में दिखाया जाना।

यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश होने वाले किसी भी वकील/वरिष्ठ वकील द्वारा मामले में बहस नहीं की जाती है या मामले में पेश होने और बहस करने में विफल रहता है, तो अंतरिम आदेश अदालत के संदर्भ के बिना स्वचालित रूप से खाली हो जाएगा। और निगम आवंटन के साथ आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र होगा।"

(3) कोई भी विद्वान वकील/वरिष्ठ वकील उस कॉलम के खिलाफ रिट याचिकाओं के लिए सूचकांक में लिखित शब्द पर विवाद नहीं कर सकता है जो इस बात का जवाब देता है कि क्या लंबित किसी भी समान मामले पर निर्भरता रखी गई है, उन्होंने 2016 की सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 6968 और/या एक अन्य याचिका का जोरदार उल्लेख किया है जिसमें 2016 की संबंधित सी. डब्ल्यू. पी. No.6968 का संदर्भ है जिसमें पंजाब राज्य में एल. पी. जी. वितरण के आवंटन के मामले में प्रतिवादी तेल कंपनियों के खिलाफ आई. डी. 2 पर प्रस्ताव की सूचना और रोक दिनाक 12-04-2016 के अंतरिम निर्देश जारी किए गए थे।

(4) ये याचिकाएँ अलग-अलग तिथियों पर दायर की गई हैं, या तो प्रमुख याचिका (2016 का सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 6968) में निर्धारित तिथि से पहले या उसके बाद, और इन सभी मामलों में अंतरिम रोक उसी शर्तों में दी गई थी जो सूचकांक में उल्लिखित याचिका में दी गई थी।श्री लखनपाल का कहना है कि उनकी याचिका (2016 का सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 17681) में प्रस्ताव का नोटिस जारी किया गया था, लेकिन कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया गया था, जबकि अन्य तीन याचिकाओं में अंतरिम आदेश पारित किए गए थे।याचिकाकर्ताओं के लिए यह

खेद का विषय है कि न्यायालय ने 2016 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 6968 को एक तर्कपूर्ण निर्णय और आदेश द्वारा खारिज कर दिया है जिसमें 11 रिट याचिकाओं का एक समूह शामिल है।लेकिन वर्तमान याचिकाओं पर फैसला होना बाकी है, कौन से मामले आज सुनवाई के लिए आए हैं।एक बार जब याचिकाकर्ताओं ने सूचकांक में एक रिट याचिका के लंबित होने का उल्लेख किया है और अब जब से उस याचिका को खारिज कर दिया गया है, इन रिट याचिकाओं को उसी भाग्य का सामना करना पड़ता है। घोषणा करने वालों के खिलाफ सूचकांक में घोषणाओं के संबंध में इस नुकीले मुद्दे को भाई आर. के. जैन, जे. ने 2014 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 11032, एच. एस. गैस सेवा और अन्य बनाम में दिए गए अपने निर्णय और आदेश में विस्तार से निपटाया है। यू. ओ. आई. और अन्य ने 09.02.2016 पर निर्णय लिया और (MANU) एम. ए. एन. यू./पी. एच./0204/2016 के रूप में रिपोर्ट किया जिसमें सूचकांक और याचिकाओं के औपचारिक पैराग्राफ में उल्लिखित 2016 का सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 6968 शामिल था।

(5) विद्वत एकल न्यायाधीश ने अनुक्रमणिका में याचिकाकर्ताओं द्वारा "समान मामले" के रूप में उल्लिखित रिट याचिका को खारिज करने के कारण याचिकाओं को खारिज करने की प्रार्थना करने वाले प्रतिवादीगण द्वारा उठाई गई आपत्ति पर विचार किया।यह न्यायालय रिट क्षेत्राधिकार (पंजाब और हरियाणा) नियम, 1976 के नियम 20 (vi) के साथ पठित उच्च न्यायालय के नियमों और आदेशों के अध्याय 4 के भाग एफ, खंड 5 में कानूनी स्थिति की जांच करते हुए निर्णय के पैराग्राफ संख्या 15 से 20 में आयोजित अन्य कानूनी सिद्धांतों के साथ निम्नानुसार है:

“15. मैं सबसे पहले संघ द्वारा उठाई गई आपत्ति पर विचार करूंगा।याचिकाकर्ताओं द्वारा इसी तरह के मामले के रूप में उल्लिखित रिट याचिका को खारिज करने के कारण रिट याचिका को खारिज करने के लिए प्रतिवादीगण।

16. (Part F) उच्च न्यायालय के नियम और आदेशों के अध्याय 4 का भाग एफ, खंड 5 रिट अधिकार क्षेत्र (पंजाब और

हरियाणा) नियम, 1976 (संक्षेप में "नियम") से संबंधित है ।नियमों के नियम 20 (vi) में प्रावधान है कि प्रत्येक याचिका में क्रमिक रूप से क्रमांकित पैराग्राफ शामिल होंगे और इसमें एक बयान होगा कि क्या इसी तरह की याचिका उच्चतम न्यायालय में या पहले न्यायालय में या किसी अन्य न्यायालय में उसी मामले के संबंध में की गई है, और यदि की गई है, तो इसका क्या परिणाम होगा।

17. यह प्रावधान इस न्यायालय या उसी मामले के समक्ष इसी तरह की याचिका दायर करने के तथ्यों को छिपाने से बचने के लिए किया गया है ताकि कोई भी मामला, जिसे इस न्यायालय द्वारा पहले ही निपटाया जा चुका है, किसी भी तरह से किसी बेईमान वादी द्वारा फिर से सक्रिय नहीं किया जा सके ।यह वादी को भी मदद करता है, यदि इसी तरह के मामले की अनुमति दी गई है या कम से कम पहले से ही लंबित या तय किए गए समान मामले के परिणाम के आलोक में अदालत को जांच करने में सहायता करता है।

18. इस मामले में जो सवाल उठता है, वह यह है कि क्या वर्तमान याचिका इस आधार पर खारिज किए जाने के योग्य है कि सूचकांक में इसी तरह के मामले के रूप में उल्लिखित रिट याचिका पहले ही खारिज कर दी गई है और यदि ऐसा नहीं है, जैसा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा आरोप लगाया गया है, तो क्या याचिकाकर्ता दमन सत्यापन और सुझाव झूठ के दोषी हैं?

19. चूंकि याचिकाकर्ताओं ने इसी तरह की रिट याचिका को खारिज करने के मद्देनजर रिट याचिका को खारिज करने के प्रतिवादीगण द्वारा उठाई गई आपत्ति को चुनौती दी है, इसलिए यह कहना उचित होगा कि यदि उक्त रिट याचिका वर्तमान रिट याचिका से अलग थी, तो याचिकाकर्ताओं को रिट याचिका के सूचकांक में इसे इसी तरह के मामले के रूप में उल्लेख करने का कोई अधिकार नहीं था, भले ही वही विज्ञापन शामिल था और यदि याचिकाकर्ता दोनों मामलों के बीच के अंतर को समझाने की कोशिश कर रहे हों, तो इसका सूचकांक में ही विशेष रूप से संक्षिप्त रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए था ।इस प्रकार, इस

मामले ने वर्तमान परिदृश्य में अत्यधिक महत्व ग्रहण कर लिया है, जहां अदालतें रिट याचिका में किए गए कथनों पर विश्वास करती हैं, जो रिट नियमों के नियम 20 (iii) के संदर्भ में दायर एक हलफनामे द्वारा समर्थित है।

20. मैं दोनों याचिकाओं में दिए गए तथ्यों के आधार पर भी मामले की जांच करूंगा।पहली रिट याचिका अर्थात सी. डब्ल्यू. पी. 2013 का No.25738 एलपीजी वितरक संघ (उत्तर पश्चिमी क्षेत्र) द्वारा दायर किया गया था, जो विवादित विज्ञापन के खिलाफ पीड़ित था।जैसा कि मैंने आदेश के पहले भाग में पहले ही उल्लेख किया है कि पूरे पंजाब में 198 एलपीजी वितरकों की अवैध नियुक्ति के बारे में उक्त रिट याचिका में कानून के विशिष्ट प्रश्न तैयार किए गए हैं और 198 एलपीजी वितरकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन को रद्द करने की प्रार्थना भी की गई है।इस मामले में उस तारीख के लिए प्रस्ताव का नोटिस जारी किया गया था, जिसके लिए 2013 के सी. डब्ल्यू. पी. No.25738 वाले इसी तरह के मामले को पहले ही स्थगित कर दिया गया था। प्रस्ताव के नोटिस के समय स्थगन के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा कोई प्रार्थना नहीं की गई थी क्योंकि रोक पहले से ही 2013 के सी. डब्ल्यू. पी. No.25738/2013 <आई. डी. 1 वाले समान रिट में काम कर रही थी और सी. डब्ल्यू. पी. No.25738/2013 में रोक खाली होने के बाद रोक के लिए आवेदन दायर करना सभी सामूहिक रूप से दिखाएंगे कि 2013 का सी. डब्ल्यू. पी. No.25738 और वर्तमान याचिका समान हैं, यदि रूप में नहीं हैं तो सार में दोनों रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ता एक ही कारण का समर्थन कर रहे थे।"

(जोर दिया गया)

(6) मैं उन पहलुओं पर निर्णय के तर्क और अनुपात में शायद ही एक शब्द अतिरिक्त जोड़ सकता हूं जिन पर पूरी तरह से विचार किया गया है और जिन पर विचार किया गया है, जिसमें तथ्यों को छिपाने से संबंधित सिद्धांतों की प्रयोज्यता, याचिकाकर्ताओं के ऊपरी सच्चाई और सुझाव झूठ के दोषी होने और न्यायालय तक "अति-पहुंच" के प्रभाव शामिल हैं।इसलिए,

जब भी कोई याचिकाकर्ता इस न्यायालय का दरवाजा खटता है और इसी तरह की अंतरिम राहत की मांग करते हुए सूचकांक में इसका उल्लेख करके किसी याचिका के लंबित होने का लाभ उठाता है, चाहे वह इसे प्राप्त करे या न करे, उसके अधिकार समाप्त हो जाने चाहिए या जीवित रहने चाहिए, जैसा भी मामला हो, उक्त याचिका के अंतिम परिणाम के साथ।यह विवेक का नियम है कि हलफनामे पर ऐसी घोषणा करने वाले याचिकाकर्ताओं का भाग्य अंतिम निर्णय और आदेश के परिणाम से जुड़ा होगा जो न्यायालय द्वारा पारित किया जा सकता है। जैसा कि वे कहते हैं:जो तलवार से जीते हैं उन्हें तलवार से मरना चाहिए।वादियों को निर्णय लिए गए मूल, सहायक और आनुषंगिक मुद्दों पर अलग-अलग परिणामों की उम्मीद करते हुए न्यायिक प्रोविडेंस का परीक्षण करने से बचना चाहिए।यह तब अपरिहार्य है जब मुख्य मामलों में प्रचार के लिए याचिकाओं की पूरी श्रृंखला उपलब्ध थी।वर्तमान याचिकाकर्ताओं के पास एक विकल्प था कि जिस दिन 11 मामलों के बैच का फैसला किया गया था, उस दिन वे अपने मामलों में बहस करें, जो वे अदालत के विचार के लिए दलीलों को संबोधित करने से कतराते हुए करने में विफल रहे।एच. एस. गैस सेवा मामले (सुप्रा) के फैसले में कानूनी चूक यह है कि यह न्यायालय का संघ नहीं है। याचिकाकर्ता द्वारा भरोसा की गई इसी तरह की याचिका का उल्लेख करते हुए सूचकांक में घोषणा द्वारा सड़क को बाधित करने के बाद मामले के गुण-दोष पर गौर करने के लिए मजबूर किया जाता है, यदि बाद में इसे खारिज कर दिया जाता है।

(7) श्री(Shri) लखनपाल प्रस्तुत करते हैं कि उनके और अन्य मामलों में एक अतिरिक्त मुद्दा शामिल था।वह आगे प्रस्तुत करता है कि इन याचिकाओं को अलग किया गया था। श्री लखनपाल द्वारा योग्यता पर निर्णय लेने के लिए उनके बचाव में आने के लिए "अलग" शब्द का प्रयोग किया जाता है।इन याचिकाओं के आदेश पत्र या 2016 के सी. डब्ल्यू. पी. 6968 में, जैसा कि मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया है, इस कथन का समर्थन नहीं करते हैं।'पृथक्करण' शब्द या इस तरह के किसी भी सुझाव

का उपयोग नहीं किया गया है ।केवल इसलिए कि कुछ मामलों को स्थगित कर दिया गया है और एक समूह के साथ निर्णय नहीं लिया गया है, उन मामलों को न्यायिक आदेश द्वारा समूह से अलग के रूप में नहीं पढ़ा जाएगा या इसका मतलब यह नहीं होगा कि एक अलग बिंदु शामिल है जिसमें निर्धारण की आवश्यकता है ।कोई केवल ऑर्डर-शीट के अनुसार जा सकता है और कुछ भी नहीं पढ़ सकता है जो वहाँ नहीं है ।यदि याचिकाकर्ताओं को इस संबंध में कोई शिकायत होती तो वे उचित आदेशों के लिए उसी माननीय न्यायाधीश के समक्ष एक उचित आवेदन भेज सकते थे ।मैं उन आदेशों को पढ़ने की स्थिति में नहीं हूं जो उसमें स्पष्ट रूप से नहीं बताए गए हैं ।न ही मैं आवश्यक निहितार्थ से इस तरह का कुछ भी पढ़ सकता हूं ।यदि पक्षों के पास एक अतिरिक्त शिकायत थी जो 2016 के सी. डब्ल्यू. पी. No.6968 को खारिज करने वाले दिनांकित 5.9.2016 के निर्णय और आदेश में शामिल हो जाएगी क्योंकि ये याचिकाएं 'अलग' नहीं थीं और तदनुसार, यदि प्रपत्र में नहीं तो सार में एक ही भाग्य का सामना करना पड़ता है ।

(8) दर्ज किए गए कारणों से, मैं इन याचिकाओं को खारिज करने के लिए विवश हूं ।कहने की जरूरत नहीं है कि अंतरिम आदेश अब नहीं रहेंगे ।

इंदर पाल सिंह दोआबिया

रचना

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निणर्य वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।